भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3783
सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

ईपीएफओ की ठप होती जा रही सॉफ्टवेयर प्रणाली

3783. श्री मोहम्मद हनीफा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सॉफ्टवेयर प्रणाली के ठप होने तथा सर्वर पुराने हो जाने की जानकारी है, जिसके परिणामस्वरूप ईपीएफओ सदस्यों के लंबित दावों तथा शिकायतों में भारी वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या ईपीएफओ सदस्यों को पोर्टल तक पुहंचने तथा अपने दावे ऑनलाइन प्रस्तुत करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;
(घ) क्या ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय भी अब सॉफ्टवेयर की धीमी गति या बंद होने का अनुभव करने के आदी हो गए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या यह स्थिति मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास के लिए कम बजट आवंटन, समर्पित मानव संसाधनों की कमी तथा स्पष्ट आईटी नीति के अभाव के कारण है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): ईपीएफओ ने कई कदम उठाए हैं, जैसे भंडारण उन्नयन और विशिष्ट डेटाबेस सर्वर पोर्ट पर उच्च लोड और प्रदर्शन ट्यूनिंग आदि का समाधान करना, जिसके परिणामस्वरूप आईटी प्रणालियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मौजूदा अनुप्रयोगों में सॉफ्टवेयर हस्तक्षेप किए गए हैं। इन पहलों के परिणामस्वरूप, सदस्यों के विभिन्न लेनदेन अनुरोधों जैसे दावों आदि के प्रक्रियान्वयन की गति में सुधार हुआ है। इसके अलावा, दावा प्रक्रियान्वयन में निम्नलिखित सरलीकरण किए गए हैं:

जारी...2/-

i. अग्रिम दावों के ऑटो मोड प्रक्रियान्वयन के लिए, राशि की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है और बीमारी/ अस्पताल में भर्ती होने के अग्रिम के अलावा, आवास, शिक्षा और विवाह के लिए भी अग्रिम सक्षम किया गया है।

ii. 1 अप्रैल 2024 से 15 फरवरी 2025 तक 196 लाख से अधिक दावों का स्वतः निपटान किया जा चुका है। अब संसाधित किए गए अग्रिम दावों का 60% स्वचालित मोड में है।

iii. वर्ष 2024-25 में दावा दाखिल करने के लिए चेक लीफ अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी, जिससे लगभग 30% दावेदारों को लाभ मिलेगा।

iv. सदस्यों को दावों की पात्रता/स्वीकार्यता के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए कुछ अग्रिम सत्यापन किए गए, ताकि अयोग्य दावों को दाखिल करने से रोका जा सके।

v. जनवरी 2025 में एक सरलीकृत संयुक्त घोषणा प्रक्रिया शुरू की गई थी, ताकि ईपीएफओ सदस्य कुछ प्रणाली-संचालित सत्यापन के अधीन, अधिक कुशल और परेशानी मुक्त तरीके से अपने ब्यौरे स्वयं अद्यतन या स्वयं सही कर सकें। परिणामस्वरूप, केवल 4-5% संयुक्त घोषणाओं को ही क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा संसाधित एवं अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

vi. पूर्णतः ई-केवाईसी अनुपालना वाले ईपीएफ खाते वाले ईपीएफ सदस्य अब नियोक्ता की स्वीकृति के बिना सीधे ईपीएफओ के पास अपना ऑनलाइन स्थानांतरण दावा दायर कर सकते हैं।

vii. केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को दिसंबर 2024 में पूरी तरह से लागू किया गया, जिससे 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को केंद्रीकृत पेंशन संवितरण सुनिश्चित हुआ।

केंद्रीकृत आईटी समर्थित प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के भाग के रूप में, 'फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन' प्रक्रियाओं (दावे- ईपीएफ, ईडीएलआई और पेंशन, वार्षिक ईपीएफ लेखा और भुगतान) को नए ईपीएफओ 2.01 के भाग के रूप में हार्डवेयर और ओएस के उन्नयन के साथ केंद्रीकृत डेटाबेस पर नई सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को जोड़ने के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है।

इसके अलावा, ईपीएफओ 3.0 के भाग के रूप में, ईपीएफओ को भविष्य के लिए तैयार, सदस्य-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित संगठन में बदलने के लिए हितधारक परामर्श आयोजित किए गए हैं।

निधि की उपलब्धता के संदर्भ में, हार्डवेयर सहित रखरखाव, सॉफ्टवेयर विकास, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस और साइबर सुरक्षा सहित बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान है।

*****